संख्या-163/2025/2403/22-2-2023-17(448)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2025

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र श्री हरिचरन यादव, निवासी-जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-16636/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023), दिनांक 19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र श्री हरिचरन यादव, निवासी ग्राम-दरियापुर, थाना-मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ वर्तमान पता-न्यू इन्द्रलोक कालोनी नियर केसरी खेडा रेलवे क्रासिंग कृष्णानगर थाना-कृष्णानगर जिला-लखनऊ का निवासी है। जमीन की रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनाँक 16.05.2003 को अपनी लाईसेंसी बन्दूक से गोली मारकर लेखनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-1033/2003, भा0द0वि0 की धारा- 302 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, लखनऊ के आदेश दिनाँक 03.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2022 तक 14 वर्ष 00 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 10 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप में प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः की घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा ठीक नही है, अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र हरिचरन यादव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि जमीन की रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनाँक 16.05.2003 को अपनी लाईसेंसी बन्दूक से गोली मारकर लेखनाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतीश पुत्र हरिचरन यादव की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश (बन्दी संख्या-17368) पुत्र हरिचरन यादव, निवासी जनपद-लखनऊ की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-163/2025/2403(1)/22-2-2023-17(448)/2024, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को एस0एल0पी0 (किमिनल) सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-163/2025/2403/22-2-2023-17(448)/2024

दिनांकः 24 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र श्री हरिचरन यादव, निवासी ग्राम-दरियापुर, थाना-मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ वर्तमान पता-न्यू इन्द्रलोक कालोनी नियर केसरी खेडा रेलवे क्रासिंग कृष्णानगर थाना-कृष्णानगर जिला-लखनऊ का निवासी है। जमीन की रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनाँक 16.05.2003 को अपनी लाईसेंसी बन्दूक से गोली मारकर लेखनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-1033/2003, भा0द0वि0 की धारा- 302 आईपीसी में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, लखनऊ के आदेश दिनाँक 03.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2022 तक 14 वर्ष 00 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 10 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप में प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः की घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा ठीक नही है, अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र हरिचरन यादव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि जमीन की रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनाँक 16.05.2003 को अपनी लाईसेंसी बन्दूक से गोली मारकर लेखनाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतीश पुत्र हरिचरन यादव की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in